Part – I

A

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम मामलात) (सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान) पीठासीन अधिकारी – सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre) निर्णय दिनांक – 09 जुलाई, 2026 विशेष सेशन प्रकरण संख्या – 11/2024 सीएनआर संख्या – RJCH010000472024	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री रोशनसिंह राठौड़, योग्य विशेष लोक अभियोजक, चूरू
ACCUSED	1. फर्म मैसर्स श्री रायसा मेडिकल स्टोर जरिए मालिक अमित सिंह पुत्र मालू सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 9 पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 2. अमित सिंह पुत्र मालू सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 9 पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 3. विशाल सोनी पुत्र ओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 22 चारबत्ती के पास तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राजस्थान)
REPRESENTED BY	श्री विनोद दनेवा व श्री राहुल सोनी, योग्य अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

B

Date of Offence	18.06.2018
Date of FIR	15.09.2020 (परिवाद)
Date of Chargesheet	19.01.2024 (प्रसंज्ञान)
Date of Framing of Charges	21.01.2026
Date of commencement of evidence	16.10.2025
Date on which judgment is reserved	09.07.2026
Date of the Judgement	09.07.2026
Date of the Sentencing Order, if any	–

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1	फर्म मैसर्स श्री रायसा मेडिकल	–	–	18A/28, 18B/28 ए एवं 22(1)(cca)/22(3) तथा नियम 65/27(d) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम	दोषमुक्त	–	–

	स्टोर						
2	अमित सिंह	–	–	18A/28, 18B/28 ए एवं 22(1)(cca)/22(3) तथा नियम 65/27(d) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम	दोषमुक्त	–	–
3	विशाल सोनी	–	–	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के रूल 65 का उल्लंघन किया, जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27(d)	दोषमुक्त	–	–

PART–II
LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW–1	गौरीशंकर	तत्कालीन औषधि नियंत्रण अधिकारी, चूरू
PW–2	चन्द्रकान्त शर्मा	औषधि नियंत्रण अधिकारी, चूरू
PW–3	अमित कुमार शर्मा	तत्कालीन औषधि नियंत्रण अधिकारी, चूरू
PW–4	डॉ. अनुज गोस्वामी	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी सालासर

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी–1	शिकायत/निर्देश पत्र
2	प्रदर्श पी–2 से प्रदर्श पी–6	नमूना औषधियों के क्रय बिल
3	प्रदर्श पी–7 से प्रदर्श पी–11	फॉर्म–17 (नमूना लेने संबंधी प्रपत्र)
4	प्रदर्श पी–12	फॉर्म–16 (जब्ती मेमो)

5	प्रदर्श पी–13	निरीक्षण रिपोर्ट
6	प्रदर्श पी–14	जब्तशुदा औषधियों की अभिरक्षा हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
7	प्रदर्श पी–15	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा पारित अभिरक्षा आदेश की प्रमाणित प्रति
8	प्रदर्श पी–16 से प्रदर्श पी–25	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर को नमूने भेजने संबंधी मेमोरेण्डम एवं अग्रेषण पत्र
9	प्रदर्श पी–26	अभियुक्त फर्म को जारी नोटिस
10	प्रदर्श पी–27 से प्रदर्श पी–36	सीलबंद नमूना पैकेट (आर्टिकल–1 से आर्टिकल–10)
11	प्रदर्श पी–37	जब्तशुदा औषधियों का सीलबंद पैकेट (आर्टिकल–11)
12	प्रदर्श पी–38	राजपत्र (गजट) अधिसूचना
13	प्रदर्श पी–38 ए	राजपत्र (गजट) अधिसूचना की छायाप्रति
14	प्रदर्श पी–39	औषधि नियंत्रण अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश
15	प्रदर्श पी–39 ए	नियुक्ति आदेश की छायाप्रति
16	प्रदर्श पी–40 से प्रदर्श पी–44	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर की विश्लेषण रिपोर्टें
17	प्रदर्श पी–45	परिवाद (इस्तगासा)
18	प्रदर्श पी–46	सूची माल
19	प्रदर्श पी–47	सूची दस्तावेजात
20	प्रदर्श पी–48	अन्य संलग्न अभिलेख
21	प्रदर्श पी–49	इस्तगासा प्रस्तुत करने संबंधी आदेश
22	प्रदर्श पी–50	सहायक औषधि नियंत्रक, चूरू को प्रेषित पत्र
23	प्रदर्श पी–51	औषधि विश्लेषण रिपोर्ट संबंधी पत्र

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	आर्टिकल–1	स्पास्मो प्रोक्सीवोन प्लस कैप्सूल (4 × 8 कैप्सूल)
2	आर्टिकल–2	स्पास्मो प्रोक्सीवोन प्लस कैप्सूल (4 × 8 कैप्सूल)
3	आर्टिकल–3	एक्सएल पाम 0.5 टैबलेट (5 × 10 टैबलेट)
4	आर्टिकल–4	एक्सएल पाम 0.5 टैबलेट (5 × 10 टैबलेट)
5	आर्टिकल–5	टर्मिपिल किट (एक किट)
6	आर्टिकल–6	टर्मिपिल किट (एक किट)

7	आर्टिकल–7	ट्राईकेयर एसआर टैबलेट (4 × 10 टैबलेट)
8	आर्टिकल–8	ट्राईकेयर एसआर टैबलेट (4 × 10 टैबलेट)
9	आर्टिकल–9	रोस्कोफ कफ सिरप 100 एमएल (एक सिरप)
10	आर्टिकल–10	रोस्कोफ कफ सिरप 100 एमएल (एक सिरप)
11	आर्टिकल–11	प्लास्टिक के सीलबंद डिब्बे में रखी सात प्रकार की जब्तशुदा औषधियां

– निर्णय –

दिनांक – 09 जुलाई, 2026

(1) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.09.2020 को अभियोगी श्री अमित कुमार शर्मा, तत्कालीन औषधि नियन्त्रण अधिकारी, चूरू ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि उन्हें प्राप्त शिकायत एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार दिनांक 18.06.2018 को श्री गौरीशंकर तत्कालीन औषधि नियन्त्रण अधिकारी, चूरू, श्री चन्द्रकान्त शर्मा औषधि नियन्त्रण अधिकारी, चूरू तथा डॉ. अनुज गोस्वामी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालासर द्वारा संयुक्त रूप से मैसर्स श्री रायसा मेडिकल स्टोर, रतनगढ़ चौराहा, सालासर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म परिसर में उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम अमित सिंह बताते हुए स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना स्वीकार किया। मौके पर फर्म का पंजीकृत फार्मासिस्ट विशाल सोनी अनुपस्थित पाया गया। निरीक्षण के समय स्वतन्त्र गवाहों को बुलाने का प्रयास किया गया किन्तु कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। निरीक्षण के दौरान फर्म परिसर के काउंटर एवं दराजों में कपड़े के थैले में कुछ औषधियां विक्रयार्थ एवं भण्डारण हेतु रखी पाई गई, जिनके सम्बन्ध में आरोपी से क्रय–विक्रय बिल एवं दस्तावेज मांगे गए, परंतु आरोपी द्वारा कोई भी वैध बिल या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त औषधियों के नमूने विधि अनुसार फॉर्म–17 में दर्ज कर लिए गए तथा नमूनों को चार बराबर भागों में विभाजित कर सीलबन्द किया गया, जिन पर आरोपी एवं निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। नमूने का एक सीलबन्द भाग नियमानुसार आरोपी को सुपुर्द किया गया। नमूने लेने के पश्चात शेष बची औषधियों के सम्बन्ध में भी कोई क्रय–विक्रय रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उक्त औषधियों को फॉर्म–16 में जब्ती मेमो तैयार कर विधि अनुसार जब्त किया गया तथा उन्हें सीलबन्द कर आरोपी की उपस्थिति में सुरक्षित किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर आरोपी को पढ़कर सुनाई गई एवं उसकी प्रति आरोपी को मौके पर प्रदान की गई। जब्तशुदा औषधियों की अभिरक्षा हेतु माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू से आदेश प्राप्त किए गए तथा नमूनों को दिनांक 20.06.2018 को राजकीय विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया। राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट में औषधियां मानक श्रेणी की पाई गई। इसके पश्चात आरोपी को अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए, परंतु आरोपी द्वारा औषधियों के क्रय–विक्रय सम्बन्धी कोई भी रिकॉर्ड अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा औषधियों के क्रय–विक्रय बिल एवं रिकॉर्ड का संधारण न करना, मांगने पर प्रस्तुत न करना तथा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने का अपराध अन्तर्गत धारा 18A, 18B, 22(1)(cca) एवं नियम 65, जो कि क्रमशः धारा 28, 28A, 22(3) एवं 27(d) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया। जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू ने उक्त

आरोपित आरोप में प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण की सुनवाई का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण इस न्यायालय में अन्तरित किया।

(2) इस न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण सारणी में वर्णित आरोप अलग से विरचित कर सुनाए व समझाए गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष द्वारा उपर्युक्त सारणी में वर्णितानुसार 4 गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 51 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये।

(3) अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें उसने स्वयं को झूठा फँसाया जाना कथन किया तथा यह कहा कि उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा मेडिकल स्टोर भी उसका नहीं है। अभियुक्तगण को साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया लेकिन उसकी ओर से किसी भी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

(4) प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं –

1. **क्या अभियोजन सन्देह से परे यह सिद्ध करने में सफल हुआ है कि दिनांक 18.06.2018 को मैसर्स श्री रायसा मेडिकल स्टोर, रतनगढ़ चौराहा, सालासर के निरीक्षण के समय अभियुक्त अमित सिंह, जो फर्म के स्वामी एवं संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति थे, ने परिसर में उपलब्ध औषधियों के क्रय स्रोत की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, औषधियों के क्रय–विक्रय से सम्बन्धित आवश्यक रजिस्टर, बिल, अभिलेख एवं वैधानिक रिकॉर्ड का संधारण एवं निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किया, विधि अनुसार मांगे गए दस्तावेज एवं विवरण प्रस्तुत न कर औषधि निरीक्षक के वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न की तथा पंजीकृत फार्मासिस्ट के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के बिना औषधियों का विक्रयार्थ भण्डारण होने दिया ?**

2. **क्या अभियोजन सन्देह से परे यह सिद्ध करने में सफल हुआ है कि दिनांक 18.06.2018 को उक्त निरीक्षण के समय अभियुक्त विशाल सोनी, जो फर्म के पंजीकृत फार्मासिस्ट थे, औषधियों के विक्रय एवं भण्डारण के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे तथा उनके द्वारा आवश्यक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण नहीं किया गया ?**

3. **यदि उक्त अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना पाये जो है तो अभियुक्तगण को किस प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा ?**

(5) सर्वप्रथम इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिन गवाहान को परीक्षित करवाया गया है उनकी साक्ष्य का विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार से हैः–

(6) पी.डब्ल्यू. 1 गौरीशंकर ने कथन किया है कि दिनांक 08–06–2018 को वह औषधि नियन्त्रण अधिकारी, चूरू के पद पर तैनात था। उस दिन सहायक औषधि नियंत्रक, चूरू से एक पत्रांक विभिन्न शिकायत की जाँच के क्रम में उसे प्राप्त हुआ, जो प्रदर्श पी–1 है। जिसकी पुष्त पर शिकायतों का विवरण अंकित है। उक्त शिकायत के क्रम में वह, श्री चन्द्रकान्त शर्मा के साथ शिकायत की जाँच हेतु कस्बा सालासर पहुँचे जहाँ से डॉक्टर अनुज गोस्वामी एमओआईसी, सरकारी अस्पताल सालासर के साथ रतनगढ चौराहे के पास सालासर के उक्त स्थान पर संचालित मेडिकल स्टोर रायसा मेडिकली स्टोर के निरीक्षण हेतु पहुँचे। जहाँ पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम अमित सिंह व स्वयं को फर्म का मालिक बताया। जाँच के बारे में बताया गया। फर्म को जारी खुदरा औषधि अनुज्ञा पत्र 7310–7311, जो वैध पाये गये। फर्म पर कार्यरत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विशाल सोनी अनुपस्थित पाया गया। हुआ। फर्म की जाँच करने पर फर्म के काउण्टर में बांयी तरफ की दराजों में से सबसे निचली दराज में स्पासमो प्रोक्सीवोन प्लस कैप्सूल–179 कैप्सूल, एक्सएल पाम 0.5 टेबलेट– 383 टेबलेट, टर्मिपिल किट– 8 किट, ट्राईकेयर एसआर टेबलेट–253 टेबलेट (दो बेच), रोस्कोफ कफ सिरप 100 एमएल– 4 सिरप, कोन्ट्रापिल किट– 1 किट, क्लोन एक्स 1 एमडी टेबलेट– 33 टेबलेट, औषधियां विक्रयार्थ व संग्रहित पायी गई। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि इन विक्रयार्थ संग्रहित औषधियों के क्रय बिल रिकॉर्ड मांगे जाने पर अमित सिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत बरामद औषधियों में से स्पास्मो प्रोक्सीवोन प्लस केप्सूल के 16 गुणा 8 कैप्सूल जरिए बिल संख्या 257 दिनांक 18.06.2018 उसके द्वारा क्रय की गई, जिसका बिल प्रदर्श पी 2 है। औषधि एक्सएल पाम 0.5 टेबलेट के 20 गुणा 10 टेबलेट जरिए बिल संख्या 258 दिनांक 18.06.2018 mlds द्वारा क्रय की गई, जिसका बिल प्रदर्श पी 3 हैA औषधि टर्मिपिल किट की चार किट जरिए बिल संख्या 259 दिनांक 18.06.2018 उसके द्वारा क्रय की गई, जिसका बिल प्रदर्श पी 4 है। औषधि ट्राईकेयर एसआर टेबलेट बेच संख्या 17एच059 की 16 गुणा 10 टेबलेट जरिए बिल संख्या 260 दिनांक 18.06.2018 उसके द्वारा क्रय की गई, जिसका बिल प्रदर्श पी 5 है। औषधि रोस्कोफ कफ सिरप 100 एमएल की चार सिरप जरिए बिल संख्या 261 दिनांक 18.06.2018 उसके द्वारा क्रय की गई, जिसका बिल प्रदर्श पी 6 है। उक्त औषधियां नमूना लेने हेतु उसके द्वारा क्रय की गई। प्रत्येक औषधि के नमूने लेने का विवरण अलग–अलग फॉर्म 17 दिनांक 18.06.2018 में अंकित किया गया, जो प्रदर्श पी 7 से प्रदर्श पी 11 है। प्रत्येक औषधि की क्रय मात्रा को चार–चार बराबर भागों में बांटकर अलग–अलग पैक कर सीलबन्द पैक किया गया। प्रत्येक औषधि के सीलबन्द नमूने के प्रत्येक भाग पर जाँच दल व अमित सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए। प्रत्येक औषधि के फॉर्म 17 के पुश्त भाग पर अमित सिंह द्वारा अपनी हस्तलिपि में नमूना लिए जाने का अंकन है। प्रत्येक फॉर्म 17 की एक प्रति व प्रत्येक सीलबन्द नमूने का एक–एक भाग मौका निरीक्षण फर्म मालिक को सुपुर्द किया गया।

(7) इस गवाह ने आगे कथन किया है कि बरामद औषधियों में से उक्त पांच औषधियों का नमूना लिए जाने के उपरान्त शेष औषधि मात्रा को फॉर्म 16 में दिनांक 18.06.2018 में क्रम संख्या 1 से 7 पर अंकन कर अधिनियम के तहत जब्त किया गया। फॉर्म 16 प्रदर्श पी 12 है, जो कुल दो पृष्ठों में है। जब्तशुदा औषधियों को प्लास्टिक के एक बॉक्स में डालकर पैक कर सीलबन्द किया गया। सीलबन्द बॉक्स पर जाँच दल व अमित सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए। मौका निरीक्षण फर्म मालिक द्वारा प्रस्तुत बिल बुक में नियमानुसार बिक्री बिल जारी करना नहीं पाये गये। शेडयूल एच1 औषधियों का पृथक से संधारित रिकॉर्ड खाली पाया गया। मौका निरीक्षण बरामद औषधियों का क्रय रिकॉर्ड बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। मौके पर तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है, जो कुल तीन पृष्ठों में है। जब्तशुदा औषधियों को कस्टडी आदेश के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष दिनांक 19.06.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रदर्श पी 14 है, उक्त न्यायालय द्वारा जारी अभिरक्षा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 15 है। मौका निरीक्षण लिए गए औषधि नमूनों के एक–एक भाग को जाँच हेतु राजकीय विश्लेषक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला राजस्थान जयुपर को जरिए मेमोरेण्डम भिजवाये गये। सम्बन्धित मेमोरेण्डम व कवरिंग लेटर प्रदर्श पी 16 से प्रदर्श पी 25 हैं। फर्म श्री रायसा मेडिकल स्टोर सालासर को उसके द्वारा जारी नोटिस प्रदर्श पी 26 है। प्रकरण के वजह सबूत कुल 11 पैकेट सील्डशुदा हालत में न्यायालय में पेश हुए, जो न्यायालय की अनुमति से खोले गये। नमूना संख्या CUR/GS/JUN/2018/03 के दो भाग, जिनके लिफाफे प्रदर्श पी 27 व 28 हैंa प्रदर्श पी 27 व 28 के प्रत्येक लिफाफे में 4 गुणा 8 केप्सूल मौजूद हैं, जो क्रमशः आर्टिकल 1 व 2 हैं। नमूना संख्या CUR/GS/JUN/2018/04 के दो भाग, जिनके लिफाफे प्रदर्श पी 29 व 30 हैं। प्रदर्श पी 29 व 30 के प्रत्येक लिफाफे में 5 गुणा 10 केप्सूल मौजूद हैं, जो क्रमशः आर्टिकल 3 व 4 हैं। नमूना संख्या CUR/GS/JUN/2018/05 के दो भाग, जिनके लिफाफे प्रदर्श पी 31 व 32 हैंa। प्रदर्श पी 31 व 32 के प्रत्येक लिफाफे में एक–एक किट मौजूद हैं, जो क्रमशः आर्टिकल 5 व 6 हैं। नमूना संख्या CUR/GS/JUN/2018/06 के दो भाग, जिनके लिफाफे प्रदर्श पी 33 व 34 हैं। प्रदर्श पी 33 व 34 के प्रत्येक लिफाफे में 4 गुणा 10 टेबलेट मौजूद हैं, जो क्रमशः आर्टिकल 7 व 8 हैं। नमूना संख्या CUR/GS/JUN/2018/07 के दो भाग, जिनके लिफाफे प्रदर्श पी 35 व 36 हैं, प्रदर्श पी 35 व 36 के प्रत्येक लिफाफे में एक–एक सिरप मौजूद हैं, जो क्रमशः आर्टिकल 9 व 10 हैं। जब्तशुदा औषधि जो एक प्लास्टिक के डिब्बे में

मौजूद हैं, जिस पर चस्पा चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 37 है सात प्रकार की उक्त जब्तशुदा औषधियां, आर्टिकल 11 हैं। उसकेगजट अधिसूचना की मूल प्रति प्रदर्श पी 38 है, जिसके क्रम संख्या 13 पर उसकानाम अंकित है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 38ए है। औषधि नियन्त्रण अधिकारी, चूरू के पद पर नियुक्त होने के सम्बन्ध में आदेश प्रदर्श पी 39 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 39ए है।

(8) **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि उक्त फर्म के अलावा सालासर में करीब 10–12 मेडिकल स्टोर होना बताया गया तथा विभाग में मेडिकल स्टोर सम्बन्धी रिकॉर्ड रहने की बात कही गई। यह स्वीकार किया गया कि जयपुर द्वारा जारी पत्र कार्यालय में दिनांक 08.06.2018 को प्राप्त हुआ था, जिसकी पालना में दिनांक 18.06.2018 को मौके पर जाया गया, जहाँ सम्पूर्ण कार्यवाही में लगभग 6–7 घंटे का समय लगा तथा उसी दिन औषधियां जब्त कर ली गई। दिनांक 19.06.2018 को सीजेएम न्यायालय, चूरू में कस्टडी आदेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 18.06.2018 से 19.06.2018 के मध्य जब्तशुदा औषधियां सिविल लाइन स्थित कार्यालय में रखी गई। कार्यालय में पियोन का नाम स्मरण नहीं होना, कुल 6–7 कर्मचारियों का स्टाफ होना, रात्रि के समय कार्यालय में कोई नहीं रुकना तथा कार्यालय खोलने एवं बन्द करने का कार्य पियोन द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया। जब्तशुदा दवाइयां अलग–अलग कम्पनियों की होना, निर्माता कम्पनियों से पूछताछ किए जाने या न किए जाने का स्मरण नहीं होना, यदि दवाइयां निर्माता कम्पनी से विधिवत क्रय की गई हों तो उसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं होना, निर्माता फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया जाना तथा फर्म मालिक के पास औषधि विक्रय का लाइसेंस होना भी स्वीकार किया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि जब्तशुदा औषधियां कपड़े के एक थैले में बन्द थी तथा बिक्री हेतु रैक में प्रदर्शित नहीं थी जबकि स्वयं यह भी कहा गया कि बिना वैध क्रय बिल के स्टॉक को विक्रय हेतु छिपाकर रखा गया था। यह स्वीकार किया गया कि सैम्पल हेतु क्रय की गई औषधियां उधार में खरीदी गई थी, इससे पूर्व उक्त दुकान से कभी उधार में दवा नहीं खरीदी गई थी, कार्यवाही से पूर्व दुकानदार से कोई जान–पहचान नहीं थी तथा आज दिनांक तक खरीदशुदा औषधियों का भुगतान नहीं किया गया जबकि स्वयं यह भी कहा गया कि यदि कार्यालय से भुगतान किया गया हो तो उसका स्मरण नहीं है तथा भुगतान सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। यह स्वीकार किया गया कि डॉ. अनुज गोस्वामी सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान लगातार मौके पर उपस्थित नहीं रहे जबकि स्वयं यह कहा गया कि वे लगभग आधा घंटे के लिए अस्पताल में आपातकालीन कार्य होने के कारण चले गए थे। प्रदर्श पी–2 से पी–6 के बिलों की क्रम संख्या 257 से 261 होना, प्रदर्श पी–2 में अंग्रेजी में लिखा "गौरी शंख" कटा होना तथा उसके ऊपर अंग्रेजी में "अमित" लिखा होना, प्रारंभ में उन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं होना जबकि स्वयं यह कहा गया कि बाद में हस्ताक्षर किए गए, स्वीकार किया गया। प्रदर्श पी–7 से पी–11 पर आई से जे स्थान तक किए गए अंकन पर कार्यालय का नाम अथवा सील–मोहर अंकित नहीं होना, मेडिकल स्टोर आबादी क्षेत्र में स्थित होना किन्तु आसपास के मकानों अथवा दुकानों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होना, आसपास के लोगों को बुलाया जाना किन्तु उनके नाम स्मरण नहीं होना, उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्रदर्श पी–13 पर नहीं होना, पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्शों की क्रम संख्या में कटिंग होना तथा जब्तशुदा दवाइयां बिक्री योग्य होना भी स्वीकार किया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी–26 दिनांक 20.06.2018 का है, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर को प्रदर्श पी–16 से पी–25 के माध्यम से दिनांक 20.06.2018 को नमूने भेजे गए, फर्म मालिक को प्रदर्श पी–26 द्वारा तीन दिन का समय दिया गया तथा उक्त नोटिस की रजिस्ट्री दिनांक 25.06.2018 को अभियुक्त फर्म को प्रेषित की गई, जो प्रदर्श डी–1 है। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी–37 आर्टिकल–11 में कुल सात प्रकार की दवाइयां थी किन्तु सभी को परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया जबकि स्वयं यह कहा गया कि उनमें से केवल चार प्रकार की दवाइयों को ही औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर भेजा गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि आर्टिकल–11 की औषधियां जिस

प्लास्टिक के डिब्बे में रखी गई थी, वह डिब्बा स्वयं खरीदकर साथ ले जाया गया था किन्तु उसके क्रय का कोई बिल उपलब्ध नहीं था तथा उसके भुगतान सम्बन्धी कोई बिल कार्यालय में भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रदर्श पी–38 एवं पी–39 पूर्व से न्यायालय की अन्य पत्रावलियों में प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत होना, उन्हें न्यायालय से वापस प्राप्त करने का कोई आदेश अथवा अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होना तथा उनका पत्रावली में स्वयं द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाना भी स्वीकार किया गया। अन्त में यह भी स्वीकार किया गया कि सैम्पल लेने की कोई फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी नहीं कराई गई थी, परिवाद में निरीक्षण दल के श्री रायसा मेडिकल स्टोर में प्रवेश करने का समय अथवा प्रहर अंकित नहीं किया गया था तथा आरोपीगण को नमूना पुनः परीक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि स्वयं यह कहा गया कि आरोपीगण द्वारा ऐसा अवसर नहीं चाहा गया।

(9) पी.डब्ल्यू. 2 चन्द्रकान्त शर्मा ने कथन किया है कि दिनांक 18–06–2018 को वह औषधि नियन्त्रण अधिकारी, चूरू के पद पर तैनात था। उस दिन वह, सहायक औषधि नियंत्रक, चूरू से प्राप्त निर्देशो की पालना में श्री गौरीशंकर, औषधी नियन्त्रण अधिकारी, चूरू व डॉक्टर अनुज गोस्वामी, मेडिकल ऑफिसर सीएचसी सालासर के साथ, अभियुक्त फर्म श्री रायसा मेडिकल स्टोर, सालासर का निरीक्षण करने गया था। जिसमें पाया कि उक्त फर्म परिसर में आठ तरह के विभिन्न एलोपैथिक औषधियां एक कपड़े के थैले में विक्रयार्थ संगहित पायी गई, जिनके क्रय बिल मौके पर फर्म पर उपस्थित मालिक अमित से माँगे जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर गौशरींकर द्वारा उनमें से पाँच औषधियों के नमूने जाँच के लिए लेकर शेष समस्त औषधियों के स्टॉक को फार्म नम्बर 16 पर दर्ज कर जप्त किया गया। जिसकी जाँच निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर श्री गौरीशंकर द्वारा तैयार की गई जो प्रदर्श पी–13 हैं। मौके पर नमूने लेने बाबत फार्म नम्बर 17 तैयार किये गये थे जो प्रदर्श पी–7 से 11 हैं। मौके पर फार्म नम्बर 16 तैयार किया गया जो प्रदर्श पी–12 है। गौरीशंकर का स्थानांतरण होने पर उक्त पत्रावली इस गवाह को चार्ज में मिली। नमूनों की जाँच उसे प्राप्त हुई जो प्रदर्श पी–40 से 44 है। प्राप्त जाँच रिपोर्टों में नशे के तौर पर काम आने वाली साल्ट यथा ट्रामाडोल, एल्प्राजोलाम आदि व गर्भपात में काम आने वाली साल्ट मिजोप्रोस्ट एवं माईफप्रिस्टोन की पुष्टि हुई। प्रकरण की पात्रावली उसके द्वारा चार्ज में श्री अमित कुमार शर्मा औषधि नियंत्रक अधिकारी, चूरू को दी गई, जिनके द्वारा इस्तगासा पेश किया गया।

(10) **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्श पी–13 तैयार करते समय आस–पड़ोस के किसी व्यक्ति को मौके पर बुलाया गया हो तो उसके सम्बन्ध में स्मरण नहीं होना बताया गया। यह स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी–13 पर किसी स्वतन्त्र मौतबीर अथवा अड़ौसी–पड़ौसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया गया कि जब्तशुदा सभी औषधियां विक्रयार्थ रैक में प्रदर्शित नहीं थी। यह स्वीकार किया गया कि ट्रामाडोल, एल्प्राजोलाम, मिजोप्रोस्ट एवं माईफप्रिस्टोन साल्ट की औषधियां चिकित्सक के पर्चे पर विक्रय की जा सकती हैं। प्रदर्श पी–7, 12, 13 एवं 40 से 44 तक के सभी पृष्ठों पर तीन–तीन पृष्ठ संख्या अंकित होना तथा उन पर कांट–छांट होना स्वीकार किया गया तथा यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त कांट–छांट पर उनके कोई लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी–40 से 44 पर हस्ताक्षरों के नीचे सील नहीं लगी हुई है। यह स्वीकार किया गया कि सभी जब्तशुदा औषधियों को निरीक्षण हेतु नहीं भेजा गया तथा जाँच हेतु भेजे जाने से पूर्व वे एक दिन तक श्री गौरीशंकर के कब्जे में रही। श्री अनुज गोस्वामी, जो सीएचसी सालासर में पदस्थापित थे, उन्हें पत्र, आदेश अथवा मौखिक रूप से बुलाया गया था या नहीं, इसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं होना बताया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में लगभग 6–7 घंटे का समय लगना बताया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि जब्तशुदा औषधियों की निर्माता कम्पनियों से यह पूछताछ नहीं की गई कि उक्त औषधियां किसे विक्रय की गई थी। मौके पर औषधियां उधार के बिल द्वारा खरीदी गई थी किन्तु उनकी राशि का स्मरण नहीं होना बताया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि इस

अभियुक्त फर्म से इससे पूर्व कभी उधार में कोई औषधियां क्रय नहीं की गई थी तथा उक्त उधार ली गई औषधियों का भुगतान आज दिनांक तक किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया कि कार्यवाही में शामिल तीनों व्यक्तियों द्वारा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा अभियुक्त को अपनी तलाशी नहीं दी गई कि उनके पास कितने रुपये, कितने कागजात अथवा कौन–कौन सी औषधियां थी जबकि स्वयं यह कहा गया कि जाँच के दौरान वे अपने साथ कभी भी कोई औषधि लेकर नहीं जाते। अन्त में यह भी स्वीकार किया गया कि उस दिन उक्त मेडिकल स्टोर के अतिरिक्त किन–किन मेडिकल स्टोरों पर कार्यवाही कर औषधियां जब्त की गई थी, उनके नाम स्मरण नहीं हैं।

(11) पी.डब्ल्यू. 3 अमित कुमार शर्मा औषधि नियन्त्रण अधिकारी, चूरू ने कथन किया है कि इस प्रकरण की पत्रावली प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक 15–09–2020 को मैसर्स रायसा मेडिकल स्टोर, सालासर वगैरह के विरूद्ध इस्तगासा मय सूची माल, सूची दस्तावेजात प्रस्तुत किया जो प्रदर्श पी–45, 46, 47 व 48 हैं। इस्तगासा पेश करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ था जो प्रदर्श पी–49 है। सहायक औषधि नियंत्रक चूरू को भेजा गया पत्र प्रदर्श पी –50 है। दिनांक 18–06–2018 को लिए गए नमूनो की एलोपेथिक औषधियों की विश्लेषण रिपोर्ट भिजवाने बाबत उसके द्वारा जारी प्रदर्श पी–51 है। ड्रग्स कन्ट्रोल ओर्गेनाईजेशन राजस्थान द्वारा जारी फार्म 20, 21 व अमित सिंह का घोषणा पत्र की फोटो प्रति सहायक औषधि नियत्रंक चूरू द्वारा उसे मूल पत्रावली से मिलान कर दिए गए थे, जिनके पृष्ठ पर उसके द्वारा प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर कर पत्रावली में शामिल किए गए थे। प्रदर्श पी–13 तैयार करते समय आस–पड़ोस के किसी व्यक्ति को मौके पर बुलाया गया हो तो उसके सम्बन्ध में स्मरण नहीं होना बताया गया। यह स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी–13 पर किसी स्वतन्त्र मौतबीर अथवा अड़ौसी–पड़ौसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया गया कि जब्तशुदा सभी औषधियां विक्रयार्थ रैक में प्रदर्शित नहीं थी। यह स्वीकार किया गया कि ट्रामाडोल, एल्प्राजोलाम, मिजोप्रोस्ट एवं माईफप्रिस्टोन साल्ट की औषधियां चिकित्सक के पर्चे पर विक्रय की जा सकती हैं। प्रदर्श पी–7, 12, 13 एवं 40 से 44 तक के सभी पृष्ठों पर तीन–तीन पृष्ठ संख्या अंकित होना तथा उन पर कांट–छांट होना स्वीकार किया गया तथा यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त कांट–छांट पर उनके कोई लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी–40 से 44 पर हस्ताक्षरों के नीचे सील नहीं लगी हुई है। यह स्वीकार किया गया कि सभी जब्तशुदा औषधियों को निरीक्षण हेतु नहीं भेजा गया तथा जाँच हेतु भेजे जाने से पूर्व वे एक दिन तक श्री गौरीशंकर के कब्जे में रही। श्री अनुज गोस्वामी, जो सीएचसी सालासर में पदस्थापित थे, उन्हें पत्र, आदेश अथवा मौखिक रूप से बुलाया गया था या नहीं, इसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं होना बताया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में लगभग 6–7 घंटे का समय लगना बताया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि जब्तशुदा औषधियों की निर्माता कम्पनियों से यह पूछताछ नहीं की गई कि उक्त औषधियां किसे विक्रय की गई थी। मौके पर औषधियां उधार के बिल द्वारा खरीदी गई थी किन्तु उनकी राशि का स्मरण नहीं होना बताया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि इस अभियुक्त फर्म से इससे पूर्व कभी उधार में कोई औषधियां क्रय नहीं की गई थी तथा उक्त उधार ली गई औषधियों का भुगतान आज दिनांक तक किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया कि कार्यवाही में शामिल तीनों व्यक्तियों द्वारा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा अभियुक्त को अपनी तलाशी नहीं दी गई कि उनके पास कितने रुपये, कितने कागजात अथवा कौन–कौन सी औषधियां थी जबकि स्वयं यह कहा गया कि जाँच के दौरान वे अपने साथ कभी भी कोई औषधि लेकर नहीं जाते। अन्त में यह भी स्वीकार किया गया कि उस दिन उक्त मेडिकल स्टोर के अतिरिक्त किन–किन मेडिकल स्टोरों पर कार्यवाही कर औषधियां जब्त की गई थी, उनके नाम स्मरण नहीं हैं। **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि दिनांक 10.08.2020 को इस्तगासा प्रस्तुत करने का आदेश प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 15.09.2020 को इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह भी बताया गया कि जब्तशुदा सैम्पल प्रारम्भ में उनके पास नहीं थे, बल्कि चार्ज प्राप्त होने के बाद उनके पास रहे।

उन्हें दिनांक 04.12.2019 को चार्ज प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 09.10.2021 तक उक्त सैम्पल उनके पास रहे।

(12) पी.डब्ल्यू. 4 डॉक्टर अनुज गोस्वामी ने कथन किया है कि वह दिनांक 08–06–18 को इंचार्ज सीएचसी के पद पर सालासर में पदस्थापित था। उस दिन श्री चन्द्रकान्त शर्मा, ओषधि नियन्त्रण अधिकारी, चूरू द्वारा दूरभाष पर आदेश प्रदर्श पी–1 की पालना हेतु उसे तलब करने पर शिकायत की जाँच हेतु कस्बा सालासर पहुँचे, जहाँ श्री चन्द्रकान्त शर्मा, श्री गौरीशंकर, रतनगढ चौराहे के पास, सालासर पर संचालित मेडिकल स्टोर श्री रायसा मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हेतु पहुँचे, जहाँ जाँच दल के सदस्यों ने अपना परिचय दिया एवं जाँच का उददेश्य बताया। उक्त मेडिकल स्टोर में प्रवेश करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम अमित सिंह व स्वयं को फर्म का मालिक बताया। फर्म को जारी खुदरा औषधि अनुज्ञा पत्र 7310–7311 जो वैध पाये गये। फर्म पर कार्यरत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विशाल सोनी अनुपस्थिति पाया गया। फर्म की जाँच करने पर फर्म में औषधिनयां विक्रयार्थ व संग्रहित पायी गई। इन विक्रयार्थ संग्रहित औषधियों के क्रय बिल रिकॉर्ड मांगे जाने पर फर्म मालिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। मौके पर औषधियां नमूने लेने हेतु श्री गौरीशंकर द्वारा क्रय की गई। प्रत्येक औषधि के नमूने लेने का विवरण अलग अलग फार्म नम्बर 17 दिनांक 18–06–18 में अंकित किया गया जो प्रदर्श पी–7 से 11 हैं। बरामद औषधियों में से उक्त पाँच औषधियों का नमूना लिए जाने के उपरान्त शेष औषधि मात्रा को फार्म नम्बर 16 में दिनांक 18–06–18 में क्रम संख्या 1 से 7 पर अंकन कर अधिनियम के तहत जप्त किया गया। फर्म नम्बर 16 प्रदर्श पी–12 है जो कुल दो पृष्ठों में है। निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 है जो कुल तीन पृष्ठों में है। मौके पर जो नमूने लिए गए थे, उन पर जप्तशुदा औषधियों पर सील मोहर करने के पश्चात उसके हस्ताक्षर करवाए थे। **जिरह** में इस गवाह ने यह कहा है कि मौके पर कार्यवाही हेतु उपस्थित होने के लिए उन्हें कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। यह स्वीकार किया गया कि मौके की कार्यवाही लगभग 6–7 घंटे चली थी तथा उस दौरान बीच में आपातकालीन स्थिति होने पर वे अस्पताल चले गए थे। यह भी स्वीकार किया गया कि वे सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान लगातार मौके पर उपस्थित नहीं रहे। यह बताया गया कि मौके पर जाँच की गई एवं जब्त की गई औषधियों के नाम उन्हें स्मरण नहीं हैं। यह भी बताया गया कि उन्हें स्मरण नहीं है कि मौके पर जब्त की गई औषधियां रैक में प्रदर्शित थी या नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि वे यह नहीं बता सकते कि गौरीशंकर द्वारा मौके पर खरीदी गई दवाइयां कितनी थी, उनकी कीमत कितनी थी तथा वे कितने बिलों के माध्यम से खरीदी गई थी। मौके के आसपास काफी दुकानें थी किन्तु वे यह नहीं बता सकते कि वे दुकानें किसकी थी।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – एक व दो</u>

(13) विचारणीय संख्या एक व दो के सम्बन्ध में बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप सन्देह से परे सिद्ध हो चुके हैं। निरीक्षण दल के सदस्य पी.डब्ल्यू.1 गौरीशंकर, पी.डब्ल्यू.2 चन्द्रकान्त शर्मा तथा पी.डब्ल्यू.4 डॉ. अनुज गोस्वामी ने एकरूप एवं विश्वसनीय साक्ष्य देकर यह सिद्ध किया है कि दिनांक 18.06.2018 को मैसर्स श्री रायसा मेडिकल स्टोर, सालासर के निरीक्षण के समय अभियुक्त अमित सिंह ने स्वयं को फर्म का स्वामी बताया जबकि पंजीकृत फार्मासिस्ट विशाल सोनी मौके पर अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान विक्रयार्थ एवं भण्डारण हेतु रखी गई औषधियों के सम्बन्ध में विधि अनुसार क्रय बिल, स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर अभियुक्त अमित सिंह कोई वैध रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। फलस्वरूप औषधियों के नमूने विधि अनुसार लिए गए तथा शेष औषधियाँ जब्त की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप सम्पन्न की गई, जिसकी पुष्टि फॉर्म–16, फॉर्म–17, निरीक्षण रिपोर्ट, जब्ती दस्तावेजों तथा राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट सहित अन्य

दस्तावेजी साक्ष्यों से होती है। मात्र यह तथ्य कि औषधियाँ मानक गुणवत्ता की पाई गई, अभियुक्तों को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता, क्योंकि वर्तमान प्रकरण का मुख्य आरोप औषधियों के क्रय–विक्रय सम्बन्धी रिकॉर्ड का संधारण एवं प्रस्तुत न करना, औषधि निरीक्षक को आवश्यक जानकारी उपलब्ध न कराना तथा पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियों का विक्रयार्थ भण्डारण करना है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतः अभियोजन ने अपने आरोप सन्देह से परे सिद्ध कर दिए हैं और अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अन्तर्गत दोषसिद्ध कर विधि अनुसार दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया।

(14) इसके विपरीत अभियुक्तगण मैसर्स श्री रायसा मेडिकल स्टोर के सम्बन्ध में तथा अमित सिंह के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता की बहस रही है कि दिनांक 29.05.2018 को जयपुर से प्राप्त पत्र में विभिन्न शिकायतों की जाँच के निर्देश होने के बावजूद केवल अभियुक्त फर्म के विरुद्ध ही कार्यवाही की गई तथा अन्य मेडिकल स्टोरों की जाँच नहीं की गई। यह भी तर्क दिया गया कि जब्त की गई औषधियां विक्रयार्थ रैक में प्रदर्शित न होकर कपड़े के थैले में रखी हुई थी तथा केवल चार प्रकार की औषधियों के नमूने परीक्षण हेतु भेजे गए जबकि अधिक प्रकार की औषधियां जब्त की गई थी। यह भी बहस की गई कि नमूने पियोन द्वारा लिए गए, जबकि वह ऐसा करने हेतु अधिकृत नहीं था तथा न तो उसका नाम अभिलेख पर है और न ही उसे गवाह बनाया गया। अभियुक्त फर्म के पास औषधि विक्रय का वैध लाइसेंस था, औषधियां प्रतिबन्धित नहीं थी तथा विक्रय योग्य थी किन्तु न तो निर्माता कम्पनियों से यह पूछताछ की गई कि उक्त औषधियां किसे विक्रय की गई थी और न ही सम्बन्धित रजिस्टरों का परीक्षण किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 20.06.2018 को अभियुक्त को नोटिस दिया गया, जबकि उससे पूर्व ही नमूने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिए गए तथा नोटिस की रजिस्ट्री अभियुक्त को लगभग पाँच दिन पश्चात प्राप्त हुई, जिससे अभियुक्त को प्रभावी अवसर नहीं मिला। यह भी बहस रही है कि सैम्पल दिनांक 20.08.2020 से 04.10.2021 तक पी.डब्ल्यू.–3 के पास रहे तथा पी.डब्ल्यू.–4 सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं रहे क्योंकि वे बीच में अस्पताल चले गए थे, जिससे अभियोजन की कार्यवाही सन्देहास्पद हो जाती है। अभियुक्त विशाल सोनी की ओर से पृथक रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसका फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण–पत्र दुकान पर प्रदर्शित था, वह निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित नहीं था, उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा उसके सम्बन्ध में कोई पूछताछ भी नहीं की गई। अतः उपर्युक्त बहस को आधार बनाते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

(15) अभियोजन एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सम्यक् मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन का संक्षिप्त कथन यह है कि दिनांक 18.06.2018 को औषधि निरीक्षण दल द्वारा मैसर्स श्री रायसा मेडिकल स्टोर, सालासर का निरीक्षण किया गया, जहाँ कुछ औषधियां कपड़े के थैले में रखी हुई पाई गई। अभियोजन के अनुसार उक्त औषधियों के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा क्रय–विक्रय सम्बन्धी बिल एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, पाँच प्रकार की औषधियों के नमूने लेकर शेष औषधियां जब्त की गई तथा जाँच, विश्लेषण रिपोर्ट एवं अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद न्यायालय में पेश किया गया।

(16) **जब्तशुदा औषधियों एवं नमूनाकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में** अभियुक्तगण की बहस रही है कि निरीक्षण के दौरान कपड़े के थैले में कुछ औषधियाँ और कुछ रैक रखी हुई थी। समस्त जब्तशुदा औषधियों थैले में से केवल कुछ औषधियों के ही नमूने परीक्षण हेतु भेजे गए। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.–1 गौरीशंकर ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जब्तशुदा औषधियां कपड़े के एक थैले में बन्द थी तथा विक्रयार्थ रैक में प्रदर्शित नहीं थी।

यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि उक्त स्टॉक बिना वैध क्रय बिल के विक्रय हेतु छिपाकर रखा गया था, किन्तु इस कथन के समर्थन में कोई स्वतन्त्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–37 में अंकित सात प्रकार की औषधियों में से केवल चार प्रकार की औषधियों को ही औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर भेजा गया। पी.डब्ल्यू.–2 ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि सभी जब्तशुदा औषधियों को परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया। अभियोजन द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि शेष औषधियों को परीक्षण हेतु न भेजने का आधार क्या था तथा चयन किन मापदण्डों पर किया गया। जब अभियोजन का सम्पूर्ण मामला निरीक्षण में प्राप्त औषधियों पर आधारित है, तब अपेक्षा की जाती है कि नमूनाकरण की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं समान रूप से अपनाई जाए। समस्त औषधियों के सम्बन्ध में एकरूप प्रक्रिया का पालन न किया जाना तथा उसका कोई सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन की कार्यवाही पर सन्देह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप यह न्यायालय मानता है कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर अभियोजन अपने प्रकरण को सन्देह से परे स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है।

(17) **स्वतन्त्र गवाहों एवं निरीक्षण प्रक्रिया की निष्पक्षता के सम्बन्ध में** अभियुक्तगण की बहस रही है कि सम्पूर्ण निरीक्षण एवं जब्ती की कार्यवाही स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंग से नहीं की गई, क्योंकि मौके पर किसी स्वतन्त्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया, कार्यवाही का कोई फोटोग्राफिक अथवा वीडियोग्राफिक रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया तथा अभिलेखों में अनेक प्रक्रियात्मक त्रुटियां विद्यमान हैं। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.–1 ने स्वीकार किया है कि आसपास के व्यक्तियों के नाम उन्हें स्मरण नहीं हैं तथा प्रदर्श पी–13 पर किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं। पी.डब्ल्यू.–2 ने भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–13 पर किसी स्वतन्त्र मो्तबीर अथवा पड़ोसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पी.डब्ल्यू.–1 ने यह भी स्वीकार किया है कि नमूना लेने की कोई फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी नहीं कराई गई तथा परिवाद में निरीक्षण दल के दुकान में प्रवेश करने का समय तक अंकित नहीं किया गया। जिरह से यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रदर्शों पर कटिंग है, उन कटिंगों पर लघु हस्ताक्षर नहीं हैं तथा कुछ दस्तावेजों पर सील का भी अभाव है। निःसन्देह प्रत्येक प्रक्रियात्मक त्रुटि अपने आप में अभियोजन के मामले को विफल नहीं करती, किन्तु जब ऐसी अनेक कमियां एक साथ सामने आती हैं तो न्यायालय को अभियोजन की सम्पूर्ण कार्यवाही की विश्वसनीयता का अधिक सावधानी से परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में इन कमियों का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप निरीक्षण एवं जब्ती की प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित सिद्ध नहीं हो सकी और इसका लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिए।

(18) **औषधियों के क्रय स्रोत, वैध लाइसेंस एवं निर्माता कम्पनियों से जाँच के सम्बन्ध में** अभियुक्तगण की बहस रही है कि अभियुक्त फर्म के पास औषधि विक्रय का वैध लाइसेंस था, जब्तशुदा औषधियां प्रतिबंधित नहीं थी तथा चिकित्सकीय पर्चे पर विधिसम्मत रूप से विक्रय की जा सकती थी, इसके बावजूद जाँच अधिकारी ने निर्माता अथवा वितरक स्तर पर कोई प्रभावी जाँच नहीं की। पी.डब्ल्यू.–1 ने स्वयं स्वीकार किया है कि फर्म मालिक के पास औषधि विक्रय का वैध लाइसेंस था, निर्माता कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा उन्हें स्मरण नहीं है कि कम्पनियों से कोई पूछताछ की गई थी। पी.डब्ल्यू.–2 ने भी स्वीकार किया कि निर्माता कम्पनियों से यह पूछताछ नहीं की गई कि सम्बन्धित औषधियां किसे विक्रय की गई थी। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि ट्रामाडोल, एल्प्राजोलाम, मिजोप्रोस्ट एवं माईफप्रिस्टोन युक्त औषधियां चिकित्सकीय पर्चे पर विधिसम्मत रूप से विक्रय की जा सकती हैं तथा जब्तशुदा औषधियां विक्रय योग्य थी। ऐसी स्थिति में यह अपेक्षित था कि जाँच अधिकारी निर्माता, वितरक अथवा अन्य उपलब्ध अभिलेखों के माध्यम से औषधियों के स्रोत एवं आपूर्ति श्रृंखला का सत्यापन करता, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत

न किए गए अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से सत्यता स्थापित की जा सकती है या नहीं। ऐसा कोई प्रयास अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होता। फलस्वरूप यह न्यायालय मानता है कि अभियोजन की जाँच इस महत्वपूर्ण पहलू पर अपूर्ण रही, जिससे अभियोजन के कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है और सन्देह का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त होता है।

(19) **नमूनों की अभिरक्षा (Chain of Custody) एवं नोटिस प्रक्रिया के सम्बन्ध में** अभियुक्तगण की बहस रही है कि जब्तशुदा नमूनों की अभिरक्षा सुरक्षित एवं निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं की गई तथा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी विधिसम्मत नहीं रही। पी.डब्ल्यू.–1 ने स्वीकार किया है कि जब्त औषधियां एक रात्रि तक कार्यालय में रही, जबकि उसी गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि रात्रि के समय कार्यालय में कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता था तथा कार्यालय खोलने एवं बन्द करने का कार्य पियोन द्वारा किया जाता था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब्त औषधियों को रखने हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक का डिब्बा स्वयं खरीदकर लाए थे, जिसका कोई बिल उपलब्ध नहीं है। पी.डब्ल्यू.–3 ने स्वीकार किया है कि चार्ज प्राप्त होने के पश्चात नमूने उनके पास रहे तथा लम्बे समय तक उनके कब्जे में रहे। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि नमूने परीक्षण हेतु भेजे जाने के पश्चात अभियुक्त को नोटिस प्राप्त हुआ। अभियोजन द्वारा इन परिस्थितियों का कोई ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो सके कि जब्ती से लेकर परीक्षण एवं न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने तक नमूनों की अभिरक्षा पूर्णतः सुरक्षित एवं सन्देह से परे रही। आपराधिक मामलों में जब्ती एवं नमूनों की अभिरक्षा की शुचिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः इस सम्बन्ध में उत्पन्न सन्देह भी अभियोजन के विरुद्ध जाता है तथा उसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायसंगत है।

(20) **निरीक्षण दल के सदस्य डॉ. अनुज गोस्वामी की उपस्थिति के सम्बन्ध में** अभियुक्तगण की बहस रही है कि निरीक्षण दल के महत्वपूर्ण सदस्य डॉ. अनुज गोस्वामी सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं रहे, जिससे सम्पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.–1 ने स्वीकार किया है कि डॉ. अनुज गोस्वामी लगभग आधे घंटे के लिए अस्पताल चले गए थे। स्वयं पी.डब्ल्यू.–4 डॉ. अनुज गोस्वामी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उन्हें मौके पर उपस्थित होने हेतु कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, वे कार्यवाही के दौरान बीच में अस्पताल चले गए थे तथा सम्पूर्ण कार्यवाही के समय मौके पर उपस्थित नहीं रहे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जब्त की गई औषधियों के नाम, संख्या, कीमत, बिल अथवा यह भी स्मरण नहीं है कि औषधियां रैक में प्रदर्शित थी या नहीं तथा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की यह बहस रही है कि ऐसे गवाह की साक्ष्य सम्पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया की सतत एवं प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं करती। जब निरीक्षण दल का एक सदस्य स्वयं सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहा, तब उसके कथनों से अभियोजन की कहानी को पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता। फलस्वरूप यह परिस्थिति भी अभियोजन के मामले में एक महत्वपूर्ण सन्देह उत्पन्न करती है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना आवश्यक है।

(21) **चयनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में** अभियुक्तगण की बहस रही है कि सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर से प्राप्त शिकायत में विभिन्न मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध जाँच करने के निर्देश दिए गए थे, किन्तु जाँच दल द्वारा केवल अभियुक्त फर्म के विरुद्ध ही कार्यवाही की गई तथा अन्य मेडिकल स्टोरों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बाबत पी.डब्ल्यू.–1 गौरीशंकर ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि सालासर में अभियुक्त फर्म के अतिरिक्त लगभग 10–12 मेडिकल स्टोर थे तथा विभाग में ऐसे मेडिकल स्टोरों का विधिवत रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.–2 चन्द्रकान्त शर्मा ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें स्मरण नहीं है कि उसी दिन अन्य किन–किन मेडिकल स्टोरों पर निरीक्षण अथवा कार्यवाही की गई थी। इतना ही नहीं, पी.डब्ल्यू.–1 एवं पी.डब्ल्यू.–2 दोनों ने यह भी स्वीकार किया है कि जब्तशुदा औषधियों की निर्माता कम्पनियों से यह पूछताछ तक नहीं की गई कि उक्त औषधियां किसे विक्रय की गई थी तथा निर्माता फर्म के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अभियोजन

द्वारा ऐसा कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्राप्त शिकायतों में वर्णित अन्य मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किन कारणों से केवल अभियुक्त फर्म का ही चयन किया गया। यद्यपि न्यायालय इस सिद्धान्त से सहमत है कि मात्र चयनात्मक कार्यवाही अपने आप में अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकती, तथापि जब अभियोजन इस सम्बन्ध में कोई तार्किक एवं सन्तोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है, तब जाँच की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर स्वाभाविक रूप से सन्देह उत्पन्न होता है। जाँच की निष्पक्षता अभियोजन की विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण आधार होती है। अतः इस परिस्थिति से अभियोजन के प्रकरण की विश्वसनीयता प्रभावित होती है तथा उत्पन्न सन्देह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना अपेक्षित है।

(22) **अभियुक्त विशाल सोनी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में** अभियुक्त विशाल सोनी की ओर से पृथक बहस रही है कि वह निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित नहीं था, उसका पंजीकरण प्रमाण–पत्र दुकान पर उपलब्ध था तथा उसके विरुद्ध कोई स्वतन्त्र एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन के सभी प्रमुख गवाहों ने स्वीकार किया है कि निरीक्षण के समय विशाल सोनी मौके पर उपस्थित नहीं था। अभियोजन ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह सिद्ध हो सके कि निरीक्षण के समय कथित अनियमितताओं के लिए वही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था अथवा उसे पृथक रूप से नोटिस देकर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था। केवल इस आधार पर कि वह पंजीकृत फार्मासिस्ट था, उसके विरुद्ध दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता, जब तक उसके विरुद्ध स्वतन्त्र एवं ठोस साक्ष्य उपलब्ध न हों। आपराधिक मामलों में प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध उसका व्यक्तिगत दायित्व सन्देह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विशाल सोनी के विरुद्ध आरोप भी सन्देह से परे सिद्ध नहीं होते तथा वह भी सन्देह के लाभ का अधिकारी है।

(23) उपरोक्त समस्त विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन की जाँच एवं साक्ष्यों में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण व प्रक्रियात्मक त्रुटियां एवं सन्देहास्पद परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनका सन्तोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप अभियोजन अभियुक्तगण फर्म मैसर्स श्री रायसा मेडिकल स्टोर, अमित सिंह एवं विशाल सोनी के विरुद्ध आरोपों को सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः विचारणीय बिन्दु संख्या 1 एवं 2 अभियुक्तगण के पक्ष में तथा अभियोजन के विरुद्ध निर्णित किए जाते हैं।

<u>अन्तिम निष्कर्ष</u>

(24) विचारणीय प्रश्न संख्या 1 के विवेचनाधीन अभियुक्तगण मैसर्स श्री रायसा मेडिकल स्टोर व अमित सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने से उक्त दोनों अभियुक्तगण धारा 18A/28, 18B/28ए एवं 22(1)(cca)/22(3) तथा नियम 65/27(d) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के आरोपों में तथा अभियुक्त विशाल सोनी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के रूल 65 का उल्लंघन किया, जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27(d) के आरोपों में सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होकर दोषमुक्ति का पात्र है।

–:: <u>आ दे श</u> ::–

(25) अतः अभियुक्तगण (1) फर्म मैसर्स श्री रायसा मेडिकल स्टोर जरिए मालिक अमित सिंह पुत्र मालू सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 9 पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) व (2) अमित सिंह पुत्र मालू सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 9 पल्लू

तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 18A/28, 18B/28 ए एवं 22(1)(cca)/22(3) तथा नियम 65/27(d) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के आरोपों से तथा (3) विशाल सोनी पुत्र ओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 22 चारबत्ती के पास तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राजस्थान) को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के रूल 65 का उल्लंघन किया, जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27(d) के आरोपों से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

(26) अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में जब्तुशदा वजह सबूत को बाद गुजरने मियाद नियमानुसार निस्तारित कर दिया जावे। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगें।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश
विशेष न्यायालय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम
मामलात (सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)

(27) निर्णय व आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश
विशेष न्यायालय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम
मामलात (सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)

MOHIT SHARMA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
2026.07.10 17:15:54 +0530